पत्रसं0-चे0पो0-25क-परिपत्र /अवमूल्यन/2009/ **0910053** / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश
(चेक पोस्ट अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 29 सितम्बर , 2009

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0 नु0शा0/अपील)/
ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक / वि0 नु0शा0/अपील/उ0न्या0कार्य/सर्वो0न्या0कार्य)
डिप्टी कमिश्नर /असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी ,
वाणिज्य कर उ0प्र0 ।

विषय:- 50 प्रतिशत से अधिक अवमूल्यन पाये जाने पर माल के अभिग्रहण के संबंध मे

Key word 1-24-EVISION / TAX EVISION

कृपया मुख्यालय के परिपत्र सं0 चे0पो0-25क-परिपत्र अवमूल्यन/2009/0910027/वाणिज्य कर दिनॉक 29.06.09 का संदर्भ लेने का कष्ट करें,जिसके द्वारा आपको उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना सं0 497/9 दि0-1-09-1(क)7-2009 दिनॉक 28.2.09 से मूल अधिनियम की धारा 48 में किये गये संशोधनों से अवगत कराते हुए इन संशोधित प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए परिवहन किये जाने वाले माल से सबंधित बिलों में अथवा गोदाम / व्यापार स्थल पर रखे माल के वास्तविक मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक का अवमूल्यन पाये जाने पर विधि अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं ।

मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य आये हैं कि कुछ प्रवर्तन इकाईयो द्वारा विधिक प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही न करके 50 प्रतिशत से कम अवमूल्यन होने पर भी माल का अभिग्रहण कर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है । यह स्थिति कदापि उचित नहीं है । अत: निदेश दिये जाते है कि है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक अवमूल्यन पाये जाने पर ही अभिग्रहण आदि की कार्यवाही की जाय । 50 प्रतिशत से कम अवमूल्यन पाये जाने पर कोई माल न रोका जाय ।

ह0/
(अनिल संत)
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव,संस्थागत वित्त एवं कर एवं निबन्धन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
2. अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ ।
3. समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0 ।
4. संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ ।
5. समस्त अनुभाग / अधिकारी वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ ।
6. चेकपोस्ट अनुभाग मुख्यालय को 25 प्रतियां अतिरिक्त ।

ह0/
(आर0एस0 गंगवार)
ज्वाइंट कमिश्नर (चेकपोस्ट) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ ।